लेखा·योग

विदेशी स्रोत क्या है? | अङ्क ८४ – अक्टूबर ०२ (मार्च ०३ में प्रकाशित)

इस अङ्क में –

विदेशी स्रोत १
- १ विदेशी व्यक्ति १
- २ विदेशी शासन २
- ३ अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण २
- ४ अव्यवसायिक सङ्गठन २
- ५ व्यवसायिक सङ्गठन ३

विमुक्त संस्थाएँ ४

विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, १९७६ एक बहुत ही संक्षिप्त अधिनियम है। परन्तु इसके प्रावधानों में बहुत उलझनें हैं। एक तो इस विषय पर विवेचनात्मक साहित्य बहुत कम है। दूसरे अधिकतर उपलब्ध सामग्री व्यावहारिक प्रक्रियाओं से ही सम्बन्धित है।

लेखा·योग के इस अङ्क में हम विअविअ[1] में दी हुई 'विदेशी स्रोत' की परिभाषा पर चर्चा करेंगें।

विदेशी स्रोत

विदेशी स्रोत की परिभाषा धारा २(१)(ई) में दी गई है। यह परिभाषा अपने आप में सम्पूर्ण नहीं है- अर्थात् इसमें नये स्रोतों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ?

मान लीजिए, कोई स्रोत 'कखग' सामान्यतः विदेशी प्रतीत होता है। फिर भी यह स्रोत इस अधिनियम की धारा (२)(१)(ई) में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसे में 'कखग' को क्या माना जायेगा?

ऐसे में भी इसे विदेशी स्रोत माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि परिभाषा पूर्ण नहीं है। इसलिये यह धारा न्यायालय को अधिकार देती है कि वह अन्य स्रोतों को (जो सूची में सम्मिलित नहीं हैं) विदेशी मान सकता है।

इस धारा में दस उपबन्धों द्वारा पाँच मुख्य श्रेणियों के स्रोतों को सूचीबद्ध किया गया है। इन उपबन्धों को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी विदेशी नियन्त्रण में है, वह विदेशी स्रोत ही माना जायेगा। इन श्रेणियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

१ विदेशी व्यक्ति

आप कैसे जानेंगें कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं? यह उस व्यक्ति की नागरिकता[2] पर निर्भर करता है। वह किस देश में रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अपितु महत्वपूर्ण यह है कि वह किस देश का नागरिक है।
इसका अर्थ यह हुआ कि कोई विदेशी नागरिक यदि भारत में रहता है। भारत में कार्य करता है। भारत में धन अर्जित करता है। तो भी वह विदेशी स्रोत माना जायेगा।

इसके विपरीत, यदि कोई भारतीय विदेश में कार्य करता है या किसी विदेशी कम्पनी से वेतन प्राप्त करता है, तब भी उसे विदेशी स्रोत नहीं माना जायेगा। श्री अमर्त्य सेन इसी श्रेणी में आते हैं।

आगे देखें कि यदि किसी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो वह भारतीय स्रोत माना जायेगा। इसी प्रकार, यदि कोई भारतीय विदेशी नागरिक बन जाता है तो वह विदेशी स्रोत माना जायेगा।

यह भी देखा गया है कि 'प्रवासी भारतीय' तथा 'भारतीय उद्भव के व्यक्ति' में अन्तर को समझने में दुविधा होती है। आइये, इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं।

क. प्रवासी भारतीय (NRI)

प्रवासी भारतीय को क्या माना जाए – विदेशी स्रोत या भारतीय स्रोत? सामान्यतः 'प्रवासी भारतीय' विदेशी स्रोत नहीं माने जायेंगें। यद्यपि वह विदेशों में रहते हैं परन्तु उनके पास भारत की नागरिकता होती है।

कई बार लोग सामान्य बोलचाल में विदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को 'प्रवासी भारतीय' कह देते हैं। इससे भ्रम हो सकता है। इसलिए यह अच्छा रहेगा कि ऐसे में यह पता किया जाये कि क्या उस व्यक्ति के पास विदेशी नागरिकता है? यदि उत्तर 'नहीं' है तो ऐसा व्यक्ति भारतीय स्रोत माना जायेगा। और यदि उत्तर 'हाँ' हुआ तो विदेशी स्रोत माना जाएगा।

ख. भारतीय उद्भव के व्यक्ति (PIO)

भारतीय उद्भव के व्यक्ति (भारतवंशी) कौन हैं? एक उदाहरण श्री विद्याधर सूरजप्रसाद नयपाल का है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनके दादाजी भारत छोड़ कर त्रिनिडाड में बस गये थे। श्री

[1] विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम (एफ·सी·आर·ए·)

[2] धारा २ (१)(ई)(x)। भारत में अभी द्विध नागरिकता को वैध नहीं माना जाता। कोई भी भारतीय यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

नयपाल तथा उनके पिता का जन्म त्रिनिडाड में ही हुआ। बाद में उन्होंने बर्तानिया की नागरिकता ले ली।

भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को एक पत्रक[३] दिया जाता है। यदि श्री नयपाल आवेदन कर ऐसा 'पत्रक' ले लेते हैं तो उन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त होंगीं। जैसे बिना प्रवेश-पत्र (वीज़ा) के भारत में आने की सुविधा। परन्तु उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होंगें। जैसे- मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आदि।

भारतीय उद्भव के व्यक्ति विदेशी स्रोत ही माने जाते हैं। उनके पास भारतीय उद्भव के व्यक्ति पत्रक होने से इसमें कोई अन्तर नहीं होता।

ग. द्विध नागरिकता

भारतीय शासन द्विध नागरिकता के विषय में अब गम्भीरता से विचार कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी भारतीय, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात् भी भारत का नागरिक बना रह सकता है।

द्विध नागरिकता होने से विअविअ के प्रावधानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं।

धारा २(१)(ई)(१०) में यह स्पष्ट कहा गया है, कि किसी अन्य देश का नागरिक विदेशी स्रोत माना जाएगा। अब जहाँ द्विध नागरिकता का प्रश्न है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक तो होगा, परन्तु साथ ही वह विदेशी नागरिक भी होगा। इस प्रकार वह व्यक्ति उपवाक्य (१०) के अनुसार विदेशी स्रोत ही माना जायेगा।

यदि हम पुनः श्री विद्याधर नयपाल का उदाहरण लें, तो क्या श्री नयपाल को भारत की द्विध नागरिकता मिल जाने से इस स्थिति में कुछ अन्तर पड़ेगा? नहीं[४]। वह विदेशी स्रोत ही माने जाते रहेंगें।

२ विदेशी शासन

किसी दूसरे देश या क्षेत्र का शासन, विदेशी स्रोत[५] माना जाता है।

कोई गुट विदेशी शासक कब माना जायेगा? जब भारत सरकार उसकी सत्ता को मान्यता दे दे। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने तालिबान को अफ़गानिस्तान[६] के शासक के रूप में मान्यता नहीं दी, यद्यपि तालिबान अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े भाग पर शासन कर रहा था।

ऐसे भेद राजनयिक सम्बन्धों के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ तक विअविअ का प्रश्न है, मान्यता प्राप्त होने या न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। विदेशी शासकों को विदेशी स्रोत ही माना जाएगा।

विदेशी शासन के अभिकरण (जैसे DFID) भी विदेशी स्रोत माने जायेगें।

३ अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण

सभी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण[७] विदेशी स्रोत हैं। परन्तु, बहुपक्षीय अभिकरण जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके विशेष अभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क आदि को विदेशी स्रोत नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय शासन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गठनों को भी छूट[८] दे सकता है।

ऐसा भेद-भाव क्यों? यह इसलिए, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण जैसे- संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैङ्क, आदि किसी एक राष्ट्र या समूह के नियन्त्रण में नहीं हैं। अतः यह माना जाता है कि इनका धन भारतीय गणराज्य को भ्रष्ट करने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण क्या होते हैं? अधिनियम इस विषय पर कुछ नहीं कहता। अभिकरण का सामान्य अर्थ है- एक ऐसा सङ्गठन जिसका गठन सर्व-हितकारी कार्यों के लिए हुआ हो। कुछ अवस्थाओं में अभिकरण का अर्थ कोई विशेष राजकीय विभाग भी हो सकता है (उदाहरणार्थ यूएसएड[९]) जो कि किसी विशेष कार्य के लिए बना हो। जब ऐसा कोई सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण कहलाता है।

४ अव्यवसायिक सङ्गठन

विदेशी न्यास, जनसेवी प्रतिष्ठान[१०], संस्था, गोष्ठीगृह[११] तथा अन्य संघ भी विदेशी स्रोत में आते हैं। इनके विषय में विस्तार से चर्चा नीचे की गई है।

क. विदेशी न्यास

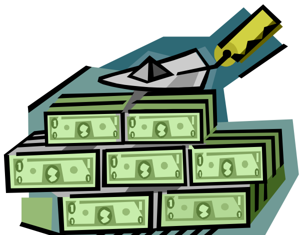

विदेशी न्यास को विदेशी स्रोत[१२] बताया गया है। परन्तु विदेशी न्यास होता क्या है? अधिनियम इस विषय पर पूर्णतया मौन है। सामान्यतः यदि किसी न्यास[१३] की स्थापना विदेश में की गई हो, तो वह विदेशी न्यास होगा। इसी प्रकार यदि किसी न्यास की स्थापना भारत में किसी विदेशी द्वारा की गई हो, तो हो सकता है कि वह भी विदेशी न्यास माना जाये।

---

[३] पत्रक का शुल्क ३१० अमरीकी डॉलर

[४] यदि वह अपनी बर्तानीय नागरिकता यथावत रखते हैं तो।

[५] धारा २ (१)(ई)(i)

[६] इसका अर्थ मात्र यह हुआ कि तालिबान को अशासकीय विदेशी संस्था होने के नाते विदेशी स्रोत की श्रेणी में रखा जायेगा।

[७] इन्टरनेशनल एजेन्सी

[८] वर्तमान में १०४ से अधिक सङ्गठन इस परिभाषा के अन्तर्गत छूट प्राप्त कर रहे हैं। [एस·ओ·१०१४ (ई) तिथि १३ नवम्बर २०० भारतीय राजपत्र, विशेष,भाग २, धारा ३, उपधारा (ii)]

[९] अमेरिका का अन्तर्राष्ट्रीय दातव्य सङ्गठन

[१०] फाउण्डेशन

[११] क्लब

[१२] धारा २(१)(ई)(viii)

[१३] न्यास की स्थापना किसी सम्पत्ति से कोई विधिक दायित्व जोड़कर की जाती है। ऐसा उस सम्पत्ति के स्वामी द्वारा किया जाता है जो यह न्यास संलेख (ट्रस्ट डीड) बनाता है। न्यासी भी नामित किये जाते हैं तथा विधिक दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

ख. जनसेवी प्रतिष्ठान

जनसेवी प्रतिष्ठान भी न्यास की तरह ही होते हैं। कभी-कभी यह संज्ञा (जनसेवी प्रतिष्ठान) अन्य सङ्गठनों के लिए भी प्रयुक्त होती है। अधिनियम में दो प्रकार के विदेशी जनसेवी प्रतिष्ठानों का उल्लेख हैः-

क· ऐसे विदेशी जनसेवी प्रतिष्ठान जो न्यास के रूप में गठित हैं, तथा

ख· ऐसे विदेशी जनसेवी प्रतिष्ठान जो कि मुख्यतः विदेशी आर्थिक सहायता पर निर्भर हैं।

यह दोनों ही विदेशी स्रोत[१४] हैं।

यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि उन जनसेवी प्रतिष्ठानों की क्या स्थिति होगी जो कि न तो न्यास की प्रकृति के हैं, तथा न ही जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त होती है? सम्भव है कि ऐसे जनसेवी प्रतिष्ठान इस उपबन्ध[१५] के अन्तर्गत न आयें।

ग. संस्था, गोष्ठीगृह, इत्यादि

संस्थाओं[१६] के विषय में अधिनियम में अधिक स्पष्टता है। जो संस्था, गोष्ठीगृह, इत्यादि विदेश में स्थापित या पञ्जीकृत है उसे विदेशी स्रोत[१७] माना जाएगा। और यदि संस्था की स्थापना किसी ऐसे भारतीय द्वारा की गयी हो जो विदेश में रहता है? ऐसी संस्था को भी विदेशी स्रोत माना जाएगा।

एक विदेशी द्वारा भारत में स्थापित संस्था को क्या माना जाएगा? इस विषय में अधिनियम स्पष्ट नहीं है।

घ. निगम

कुछ देशों में अलाभार्थी संस्थाऐं पुण्यार्थ निगमों के रूप में पञ्जीकृत हैं। ऐसी संस्थाऐं भी भारत में विदेशी स्रोत[१८] मानी जाएगीं।

ङ. व्यवसाय संघ

जो व्यवसाय संघ विदेश में स्थापित हो या जिसका सञ्चालन विदेशी राज्य (या क्षेत्र) से किया जाता हो, वह विदेशी स्रोत[१९] माना जाता है। इस बात से कोई अन्तर नहीं होता कि वह संघ वहाँ पञ्जीकृत है या नहीं।

[१४] धारा २(१)(ई)(viii)
[१५] ऐसा भी हो सकता है यह किसी अन्य अनुबन्ध के अन्तर्गत विदेशी स्रोत माने जायें। जैसे यदि यह प्रतिष्ठान एक निगम, संस्था या कम्पनी की भाँति पञ्जीकृत हो तों धारा २(१)(ई)(x)में आ सकता है। यदि यह सभी अनुबन्धों से बच जाता है तो सम्भवतः धारा २(१)(ई) की परिभाषा में तो आ ही जायेगा। याद रहे कि विदेशी स्रोत की परिभाषा परिपूर्ण नहीं है तथा इसमें अन्य स्रोत भी जोड़े जा सकते हैं।
[१६] गोष्ठीगृह तथा अन्य लोक संस्थाएँ
[१७] धारा २(१)(ई)(ix)
[१८] धारा २(१)(ई)(iv)
[१९] धारा २(१)(ई)(vii)

आइये देखें कि व्यवसाय संघ क्या है? विअविअ की धारा २(१)(के) में व्यवसाय संघ की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा मुख्यतः उन संघों के सन्दर्भ में प्रासङ्गिक है जो केवल भारत में (व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ के अन्तर्गत) पञ्जीकृत हैं।

'व्यवसाय संघ' की परिभाषा भी विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, ब्लैक के प्रामाणिक विधि शब्दकोश[२०] में लिखा हैः- "ऐसा संघ जो एक ही या समवर्गी व्यवसाय के कार्यकर्ताओं द्वारा मिल कर बनाया गया हो।" यह परिभाषा कदाचित् पश्चिमी देशों में तो सुसङ्गत है, परन्तु यदि ऐसे व्यवसाय संघ किसी अरब देश में या रूस में स्थापित या पञ्जीकृत हो तो?

यह एक ऐसा विषय है जिसे सम्भवतया शासन विअविअ के अगले संशोधन में स्पष्ट कर सके।

५ व्यवसायिक सङ्गठन

इस श्रेणी के अन्तर्गत पाँच प्रकार के व्यवसायिक सङ्गठन सूचीबद्ध हैंः- क. विदेशी कम्पनी, ख. विदेशी कम्पनी की समनुषङ्गी[२१] कम्पनी, ग. विदेशी निगम, घ. बहुराष्ट्रीय निगम, तथा ङ. किसी विदेशी द्वारा नियन्त्रित कम्पनी। ये सभी स्रोत विदेशी माने जाएगें।

क. विदेशी कम्पनी

विदेशी कम्पनी क्या है? कम्पनी अधिनियम। १९५६ की धारा ५९१ में यह बताया गया है। जो कम्पनी भारत से बाहर निगमित हो। वह विदेशी कम्पनी[२२] मानी जाती है।

ख. समनुषङ्गी कम्पनी

किसी विदेशी कम्पनी की समनुषङ्गी[२३] कम्पनी को भी विदेशी कम्पनी माना जाएगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि समुनषङ्गी कम्पनी की स्थापना भारत में हुई है।

ग. विदेशी निगम

कोई भी निगम जो विदेश में स्थापित हो वह विदेशी निगम माना जायेगा। 'निगम' क्या है? इसके चार मुख्य लक्षण[२४] हैं।

१. यह विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होता है।

२. अपने संस्थापकों से पृथक इसका स्वयं का व्यक्तित्व होता है।

[२०] ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, सातवाँ संस्करण, ई· १९९९, पृष्ठ संख्या-१५३२
[२१] सब्सिडियरी
[२२] यहाँ पर धारा ५९१ में दी गई परिभाषा में एक त्रुटि दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि कम्पनी का भारत में कार्यालय होना चाहिए। यदि हम इसकी व्याख्या करें तो यह प्रतीत होता है कि कोई कम्पनी यदि बेलजियम में पञ्जीकृत होती है और भारत में कार्यालय नहीं खोलती तो वह विदेशी कम्पनी नहीं मानी जाएगी।
[२३] कम्पनी 'ब' कम्पनी 'अ' की समनुषङ्गी कम्पनी कब होगी? यह चार प्रकार से हो सकता है। (१) 'अ' के पास 'ब' की परिषद का नियन्त्रण है; (२) 'अ' के पास 'ब' के ५०% से अधिक मतों का (महासभा में) नियन्त्रण है; (३) 'अ' के पास 'ब' के ५०% से अधिक सामान्य अन्श है; (४) यदि 'अ' के मूल देश की विधि के अन्तर्गत (उस देश में जहाँ कम्पनी 'अ' की स्थापना हुई हो) 'ब' की समनुषङ्गी कम्पनी हो। (कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ४ के अनुसार)
[२४] ब्लैक विधि शब्दकोश, १९९९ ई पृष्ठ संख्या ३४१ से उद्धरित

३. यह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इसे अपने सङ्गम-ज्ञापन द्वारा प्राप्त होती हैं।

४. इसका उत्तराधिकार चिरस्थायी होता है।

यदि यह बहुत उलझा हुआ लगता है तो इसे ऐसे समझें - कम्पनी तथा संस्था दोनों ही 'निगम' की प्रकृति में आते हैं। अर्थात् यह 'निगमित' प्रतिष्ठान माने जाते हैं।

घ. बहुराष्ट्रीय निगम

साधारणतया बहुराष्ट्रीय निगम भी विदेशी स्रोत माने जाते हैं। परन्तु विअविअ में बहुराष्ट्रीय निगमों का विशेष अर्थ दिया गया है।

बहुराष्ट्रीय निगम की इस परिभाषा[२५] के दो भाग हैं। प्रथमतः निगम के कार्यालय या व्यवसाय दो या दो से अधिक देशों में होने चाहिए। द्वितीयतः निगम की स्थापना विदेश में की गई होनी चाहिए।

इसका क्या अर्थ हुआ? यदि कोई भारतीय निगम[२६] विदेशों में कार्य करने लगता है (अर्थात् बहुराष्ट्रीय निगम बन जाता है) तो भी वह विअविअ के सन्दर्भ में विदेशी निगम नहीं माना जाएगा।

ङ. विदेशियों द्वारा नियन्त्रित कम्पनी

विदेशी स्रोत का अन्तिम भेद सामान्य कम्पनी के जैसा ही है। यदि किसी कम्पनी में ५० प्रतिशत या उस से अधिक अंश-पूँजी विदेशियों के पास हो तो ऐसी कम्पनी को विदेशी कम्पनी माना जाता है। ये विदेशी अंशधारक कौन हो सकते हैं? इस उपवाक्य में चार प्रकार के अंशधारकों को सूचीबद्ध किया गया है:- १. विदेशी सरकार २. विदेशी नागरिक ३. विदेश में सङ्गठित निगम ४. न्यास संस्था या लोगों के ऐसे समूह जो कि विदेश में बने या पञ्जीकृत हों।

विमुक्त संस्थाएँ

धारा २(१)(ई) का अन्तिम अनुच्छेद एक विशेष विमुक्ति की व्यवस्था करता है। कोई विदेशी संस्था यदि भारत में कार्य करने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर लेती है तो वह संस्था विदेशी स्रोत नहीं मानी जायेगी।

इसका क्या अर्थ हुआ? भारत में बहुत से विदेशी सङ्गठन कार्य कर रहे हैं। सरकार ने इनमें से कुछ के साथ विशेष अनुबन्ध कर रखे हैं। कुछ दूसरे सङ्गठनों को भारतीय रिज़र्व बैङ्क या अन्य सरकारी संस्थाओं से अनुमति मिलती है। क्या ये विदेशी स्रोत हैं?

ऐसे अनुबन्धों या अनुमतियों का विअविअ के लिए कोई महत्व नहीं है। किसी भी सङ्गठन को यह विमुक्ति केवल उसी परिस्थिति में मिलेगी जब ऐसी कोई अधिसूचना[२७] भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई हो।

[२५] धारा (२)(१) का स्पष्टीकरण

[२६] या कम्पनी

[२७] पाद टिप्पणी क्रमाङ्क ७ देखें। लेखा·योग क्रमाङ्क ४०: स्वदेशी स्रोत भी देखें।

सम्बन्धित लेखा·योग

२२: विअविअ के रहस्य

४०: स्वदेशी स्रोत

४१: विदेशी स्रोत

५४: साधन सञ्चय तथा विअविअ

५५: विअविअ की उलझनें

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् चैत्र १९२५; अप्रैल २००३ ईस्वी